



अपर उपायुक्त-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का न्यायालय,
सरायकेला-खरसावाँ।

आदेश फलक

जिला-सरायकेला-खरसावाँ।

शिकायत वाद सं०-२३/०२४

विषय : राष्ट्रीय खाद्य कानून 2013 के दायर अपील की सुनवाई के संबंध में।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ								
24/8/24	<p>अभिलेख का संधारण झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड के DGRO Login के माध्यम से Online प्राप्त शिकायत के आलोक में किया गया है। जिसकी विवरणी निम्नवत है :-</p> <table border="1"><thead><tr><th>क्र०सं०</th><th>शिकायत सं० एवं दिनांक</th><th>शिकायतकर्ता का नाम एवं पता</th><th>शिकायत की विवरणी</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>17208245500001 दिनांक 06.08.2024</td><td>आशीष कुमार, पता-ब्लॉक नं०-340/2/4, रोड नं०-27, आदित्यपुर-2, गम्हरिया, जिला-सरायकेला-खरसावाँ।</td><td>राशन कार्ड में नाम/नंबर जुड़वाने के संबंध में।</td></tr></tbody></table> <p>अतः उक्त शिकायत पत्र को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ को हस्तगत कराते हुए निदेशित करें कि शिकायत पत्र में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में नियमानुसार जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए जाँच प्रतिवेदन दिनांक 11/9/24 तक उपलब्ध करायें।</p> <p>अभिलेख दिनांक 11/9/24 को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित  अपर उपायुक्त-सह- जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ</p> <p> अपर उपायुक्त-सह- जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ</p>	क्र०सं०	शिकायत सं० एवं दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम एवं पता	शिकायत की विवरणी	1	17208245500001 दिनांक 06.08.2024	आशीष कुमार, पता-ब्लॉक नं०-340/2/4, रोड नं०-27, आदित्यपुर-2, गम्हरिया, जिला-सरायकेला-खरसावाँ।	राशन कार्ड में नाम/नंबर जुड़वाने के संबंध में।	
क्र०सं०	शिकायत सं० एवं दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम एवं पता	शिकायत की विवरणी							
1	17208245500001 दिनांक 06.08.2024	आशीष कुमार, पता-ब्लॉक नं०-340/2/4, रोड नं०-27, आदित्यपुर-2, गम्हरिया, जिला-सरायकेला-खरसावाँ।	राशन कार्ड में नाम/नंबर जुड़वाने के संबंध में।							

15/10/24

अभिलेख उपस्थापित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक 869/आ0 दिनांक 28.08.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि राशन कार्ड में नाम जोड़ने एवं नया राशन कार्ड बनाने हेतु प्राप्त आवेदनों को क्रमवार FIFO System (First in first Out) के अनुरूप स्वीकृत करने का विकल्प दिया है। PHH/ AAY में रिक्ति के विरुद्ध ही आवेदन प्रोसेस होता है। शिकायतकर्ता का आवेदन प्रतीक्षा सूची में है, रिक्ति होने पर निष्पादन कर दिया जायेगा।

अतः शिकायतकर्ता को सूचित करें। अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित

अपर उपायुक्त-सह-

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ।

अपर उपायुक्त-सह-

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ।